जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :
सम्बद्धता विभाग,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

ग्राम : यूनिवर्सिटी
दूरभाष : (0751-244228 (कार्यालय)
ई-मेल : E-mail : jiwajidcdc@gmail.Com
Website :http://www.jiwaji.edu/

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2022/ 8719 दिनांक : 20/08/22

प्रति,

प्राचार्य/सचिव
समस्त संम्बधित शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र)

विषयः-दिनांक 28 जुलाई से 15 अगस्त 2022 के मध्य आयोजित प्रदेश व्यापी पौधारोपण महाविद्यालय अभियान के संबंध में।

संदर्भः-कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन भोपाल के पत्र क्रमांक 148/निका/आउशि/2022 भोपाल दिनांक 16.08.2022

उपरोक्त विषयातंर्गत लेख है कि राज्य शासन द्वारा अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत सहभागिता से हरियाली अमावस्या दिनांक 28 जुलाई से 15 अगस्त 2022 के मध्यपद्रेश व्यापी पौधा रोपण महाअभियान आयोजित किया गया है।

अंकुर कार्यक्रम के माध्यम से पौधारोपण को जन आन्दोलन बनाने के लिये महाअभियान चलाया गया है। पौधारोपण महाअभियान के क्रियान्वयन के संबंध में शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये है **जो इस पत्र के साथ संलग्न है।**

आपको सूचित किया जाता है तदानुसार दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये।

निदेशक,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर-चम्बल संभाग, कस्तूरबा चौराहा कम्पू, लश्कर ग्वालियर
2. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलसचिव के निज सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. प्रभारी, आई.टी. सेल, विश्वविद्यालयीन वेबसाईट पर प्रसारित हेतु।

निदेशक,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

अंकुर कार्यक्रम

प्रदेश व्यापी पौधारोपण महाअभियान के दिशा-निर्देश

(दिनांक 28 जुलाई से 15 अगस्त 2022)

पौधारोपण को जन आन्दोलन बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प को जन भागीदारी से एक महाअभियान का रूप दिया जाना है। इस अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया है कि नागरिकों, समुदायों, शासकीय विभागों एवं स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से **हरियाली अमावस्या, दिनांक 28 जुलाई से 15 अगस्त 2022** तक अधिकाधिक संख्या में पौधों के रोपण हेतु प्रदेश व्यापी महाअभियान चलाया जाए। कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नानुसार होगी :-

1. अभियान के सफल संचालन हेतु पूर्व महाअभियान की तर्ज पर जिला स्तरीय समिति का गठन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में किया जायेगा, जिसमें सभी Stake holders को सम्मिलित किया जावे। समिति दिनांक 28 जुलाई से 15 अगस्त 2022 के पौधारोपण अभियान का सतत समन्वय, अनुश्रवण एवं मॉनिटरिंग करते हुए तथा जनभागीदारी सुनिश्चित करेगी तथा अंकुर कार्यक्रम की साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा करेगी।
2. जिला स्तर पर महाअभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाये।
3. प्रदेश स्थित समस्त शासकीय कार्यालयों के भवनों/सार्वजनिक उपक्रमों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/निगम, मंडलों के कार्यालयों के प्रांगण में उपयुक्त स्थान पर पौधारोपण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्कूल, कॉलेज, आंगनवाडी, छात्रावास, पंचायत इत्यादि के परिसरों में भी पौधारोपण किया जा सकता है। उपलब्ध अन्य शासकीय एवं वन भूमियों पर भी पौधारोपण किया जा सकेगा।
4. जिलों के अशासकीय संगठन, समुदाय आधारित संगठनों एवं निजी संगठनों को इस अभियान में जोड़ते हुए उनके परिसरों एवं अन्य योग्य स्थलों पर पौधारोपण का कार्य किया जा सकता है।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग

5. पौधों की व्यवस्था संबंधित व्यक्ति/संस्था के द्वारा स्वयं की जावेगी। वन/उद्यानिकी/कृषि विभाग की नर्सरी में उपलब्ध पौधों का उपयोग प्रचलित नियमानुसार किया जावेगा। रोपित पौधों की सुरक्षा, सिंचाई एवं देखभाल की जिम्मेदारी पौधारोपण करने वाले व्यक्ति/संगठन/शासकीय संस्था की होगी।

6. इस अभियान से जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए गए पौधारोपण का पंजीयन अंकुर कार्यक्रम के "वायुदुत-अंकुर" एप पर किया जावे तथा प्रत्येक रोपित पौधो की फोटो वायुदूत एप पर अपलोड की जावे।

7. "वायुदूत-अंकुर" एप गुगल प्ले स्टोर अथवा एपल स्टोर से डाउन लोड किया जा सकता है।

8. प्रतिभागियों द्वारा पौधारोपण के 30 दिन पश्चात "वायुदूत-अंकुर" एप पर रोपित पौधे की द्वितीय फोटो अपलोड करने पर सहभागिता प्रमाण पत्र एप से डाउनलोड किया जा सकेगा।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग